

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 मई 2019—वैशाख 30, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 20 मई 2019

क्र. एफ 16-5-18-बाईस-पं.-1.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 165, दिनांक 24 अप्रैल 2019 में प्रकाशित किये गये नियम 31 के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले “पंचायत निर्वाचन प्ररूप-4 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों पर सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, को सारणी के कॉलम (3) का तत्संबंध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिसमें वे शब्द आए हैं (2)	शब्द जो पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्तियां
“(2) नियम-32 में अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला प्रत्येक नामनिर्देशन प्ररूप 4 में होगा.”	329	नियम से संबंधित पंक्तियां
“मैं प्रस्तावक *जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के लिये निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती हूँ:—	329	नामनिर्देशन पत्र से संबंधित
(कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में, वही ब्यौरे अंकित किए जाए, जो अभ्यर्थी को सौंपी गई रसीद में लिखे हैं)	330	नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे.
		“(2) नियम-32 के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र प्ररूप 4 में होगा.”
		“मैं प्रस्तावक *जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के निर्वाचन के लिये निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती है.
		(कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में वही ब्यौरे अंकित किए जाए, जो कि अभ्यर्थी को सौंपी गई रसीद में लिखे हैं.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

CORRIGENDUM

Bhopal, the 20th May 2019

No. F-16-5-18-XXII-पं-1.—Columns mentioned in the column (1) of the table below given in Panchayat election form-4, published under the rule 31 of the Madhya Pradesh gazette (extraordinary) No. 165 dated 24th April 2019, (2), The words given in the corresponding entries in column (3) of the table are read :—

SCHEDULE

Faux Printed Words	words have come pages and lines in the gazette where those		read the words
(1)	(2)		(3)
	Page No.	Rows	
"(2) Every nomination to be presented under rule-32 shall be in Form 4."	330(7)	Rule related to rules.	"(2) Every nomination Paper to be presented under rule-32 shall be in Form 4."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. R. CHOUDHARY, Dy. Secy.